कृष्ण कुमार कश्यप

एडवोकेट

कार्यालय : चेम्बर नंम्बर 43, ब्लॉक प्रथम
प्रथम तल विपरित बार भवन, देहरादून
मो. 9411129777
ईमेल : kkkashyap82@yahoo.in
निवास : 678 डाकरा बाजार देहरादून कैण्ट

दिनांक 30–07–2022

समक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी, भारतीय वन सर्वेक्षण, कौलागढ़ रोड़ देहरादून

अपील संख्या .... वर्ष 2022

कृष्ण कुमार कश्यप बनाम लोक सूचना अधिकारी केन्द्रीय, भारतीय वन सर्वेक्षण, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।

अपील हेतु आधार :–

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा **दिनांक** 29-06 –2022 को शुल्क रु 10 सहित सूचना का अनुरोध उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नियमानुसार किया गया था।
2. यह कि उपरोक्त आवेदन के सापेक्ष उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपरोक्त आवेदन में मांगी गई सूचना अधिनियम अनुरूप निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध नही करायी गयी है।
3. यह कि उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना आवेदन में उल्लेखित सूचना देने से इंकार कर सूचना उपलब्ध नही कराई गई है, जिस कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है।
4. यह कि अपीलार्थी को सूचना आवेदन में उल्लेखित उक्त सूचना सार्वजनिक सूचना है, जिसके प्रकटन से विभाग को कोई छूट प्राप्त नही है, जिस कारण उक्त मांगी गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना न्यायोचित है।

मांग व अनुतोष :– उपरोक्त प्रथम अपील का निस्तारण करते हुए अपील के साथ प्रस्तुत सूचना के मूल अनुरोध पत्र में वर्णित उपरोक्त सूचना मय दस्तावेज अधिनियम अनुरूप निःशुल्क प्रदान करने हेतु उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें।

अपीलार्थी

संलग्नक : 1. सूचना का अनुरोध की प्रतिलिपि दि0 29-06-2022
व शुल्क प्रमाण की प्रति

30/7/22

कृष्ण कुमार कश्यप
एडवोकेट
नि0 678, डाकरा बाजार, देहरादून छावनी
मो0 9411129777

DD FCM-II
3/8/22

Speed Post

(222)

संख्या–13–19 / 2021– RTI - 3613
भारत सरकार
भारतीय वन सर्वेक्षण
पे0ऑ0–आई0पी0ई0, कौलागढ़ मार्ग
देहरादून–248195

दिनांक 20 जुलाई, 2022

सेवा में,

Krishan Kumar Kashyap (Adv.)
H. No.-678, Dakra Bazar,
Dehradun Cantt,
Uttarakhand-248003
Mob: 9411129777

Sub:- RTI under The Right to Information Act, 2005.

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि आपके आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 29.06.2022 द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में यह कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 8 (1)(j) में दिये गये प्रावधानो के अन्तंर्गत मांगकर्ता को व्यक्तिगत सूचना नही दी जा सकती।

भवदीय,

20/07

(कमल पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी